

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273695
SG-DL-E-22062026-273695असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 68
No. 150]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948	[N. C. T. D. No. 68

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2026

फा. सं. 6 / 1 / 2015—न्यायिक / अधीनविधि / 1773-1781.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, जो निम्नानुसार हैं : —

- श्री संजीव कुमार अग्रवाल जो पहले से ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, को ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत दिनांक 01.07.2026 से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं; तथा
- श्री उमेद सिंह को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश, के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
मोहिंदर विराट, विशेष सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th June, 2026

F. No. 6/1/2015/Judl./Suptlaw/1773-1781.— Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges, as under: -

- (1) Mr. Sanjeev Kumar Aggarwal, already Principal District & Sessions Judge under next below rule, as Principal District Judge on regular basis with effect from 01.07.2026; and,
- (2) Mr. Umed Singh as Principal District Judge under next below rule with effect from the date he takes over.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MOHINDER VIRAT, Special Secy.(Law, Justice & L.A.)